कार्यालय, अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

पत्रांक 418 / दिनांक 05.04.2024

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

सेवा में,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
लातेहार।

विषय - विविध वाद संख्या-06/2023 का मूल अभिलेख उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग - भवदीय के पत्रांक 1115/रा0 दिनांक 29.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र के आलोक में कहना है कि इस कार्यालय द्वारा सुनवाई की गई विविध वाद संख्या-06/2023 (आनंदी प्रसाद वगैरह बनाम् हसीबुल्लाह एवं जमालुद्दीन) का मूल अभिलेख इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कारवाई हेतु भेजी जाती है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
06/04/24
अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

O/C

Scanned with CamSc

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ग्रा० आनन्दी प्रसाद गुप्ता वगैरह से बनाम हबीब उल्लाह

अंचल – बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 22 / 2022-23

वाद का प्रकार –

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश प[र की] गई कार[वाई के] बारे में टि[प्पणी] तारीख [सहित]
1	2	3
13.07.22	आवेदक आनन्दी प्रसाद गुप्ता वो हरिहर प्रसाद गुप्ता वो रामाशंकर प्रसाद गुप्ता तीनों के पिता स्व. बाल गोविन्द साव वो रविशंकर प्रसाद गुप्ता पिता स्व. रामजतन प्रसाद गुप्ता ग्राम+पो. सेरेगड़ा थाना- बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा. सेरेगड़ा के CS खाता नं0 02 प्लॉट 1929 रकबा 26डी० जिसका हाल सर्वे खतियान खाता नं0 456 प्लॉट 3775 बना है। CS खाता के अनुसार उक्त भूमि मेरे पूर्वज के नाम दर्ज है। हाल. सर्वे खतियान में गलती से हबीब उल्लाह के नाम दर्ज हो गया है। जिसके द्वारा मो0 जमाल उद्दीन [illegible] पिता यदीक मियाँ और मो0 महमूद आलम पिता अब्दुल रहमान को 13डिसमिल भूमि बिक्री कर दी गई है। न्याय हेतु आवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।	

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ। (16)

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ——— से ——— तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **विविध वाद सं०– 06/2022–23**

केस का प्रकार– **आनन्दी प्रसाद वगैरह बनाम हसीबुल्लाह वगैरह**

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
20.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। आदेश हेतु पूर्व से तिथि निर्धारित थी। आदेश निम्नवत है:- प्रथम पक्षकार आनन्दी प्रसाद वो हरिहर प्रसाद वो रामजतन प्रसाद गुप्ता पिता बालगोविन्द साव ग्राम सेरेगड़ा थाना बालूमाथ के द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से बताया गया कि मौजा सेरेगड़ा के सी०एस० खाता 2 प्लॉट 1929 रकबा 26 डी० (कुल रकबा 3.37 एकड़) मेरे पूर्वज के नाम से दर्ज है। इस भूमि का आर०एस० खाता 456 प्लॉट 3775 बना है। हाल सर्वे में त्रुटि के कारण ये हसीबुल्लाह वो जमाल उद्दीन के नाम खतियान दर्ज पाया गया। जमालउद्दीन के द्वारा अपने हिस्से का उक्त प्लॉट में 13 डी० भूमि मो० महमूद आलम ग्राम सेरेगड़ा को केवाला कर दिये है। उक्त भूमि को नामांतरण पर रोक लगाई जाए एवं उक्त प्लॉट मे सम्पूर्ण 26 डी० भूमि का लगान रसीद बालगोविन्द साव के नाम से निर्गत किया जाय। साक्ष्य के रूप में प्रथम पक्षकार के द्वारा ऑफलाईन लगान रसीद एवं न्यायालय आदेश उपलब्ध कराया गया है। द्वितीय पक्षकार हसीबुल्लाह एवं जमालउद्दीन दो व्यक्ति है, जिनके नाम से आर०एस० खाता 456 प्लॉट 3775 रकबा 26 डी० दर्ज पाया गया है। द्वितीय पक्षकार के एक सदस्य हसीबुल्लाह के द्वारा न्यायालय मे स्पष्ट बताया गया कि प्लॉट 3775 मे 13 डी० भूमि पर मेरा कोई हक व हैकियत नही है। मै यह भूमि प्रथम पक्षकार को देता हूँ। द्वितीय पक्षकार के दूसरे सदस्य जमालउद्दीन के द्वारा उक्त भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया एवं बताया गया कि आरम्भ से ही सेरेगड़ा के उस भूमि पर मेरे पूर्वज का दखल कब्जा रहा है इसलिए उक्त भूमि पर मेरा अधिकार है। साक्ष्य के रूप मे जमाउद्दीन के द्वारा सी०एस० खाता से भूमि प्राप्ति का साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है।	

Scanned with CamSc

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	उभय पक्षकारों की बातों की बातों को गंभीरता पूर्वक सुना। उपलब्ध कराये गये सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्पश्चात् सरकारी अधिवक्ता से विचार विमर्श करने के पश्चात् निम्न निष्कर्ष पाये जाते है:- 1- प्रथम पक्षकार को उक्त भूमि की प्राप्ति वर्ष 1952-53 मे दाखिल खारिज वाद संख्या-14/1952-53 के द्वारा प्राप्त हुई। 2- प्रथम पक्षकार को उक्त भूमि सरकार के आदेश से प्राप्त हुआ था उक्त भूमि जगतधात्री नाथ साहदेव से लेकर सरकार के द्वारा बालगोविन्द साव को दी गई थी। 3- जगतधात्री नाथ साहदेव के द्वारा उक्त भूमि को पुनः प्राप्ति करने के लिए न्यायालय मे अपील किये परन्तु न्यायालय द्वारा उनके अपील को स्वीकार नही किया गया। 4- जगतधात्री नाथ साहदेव के द्वारा पटना उच्च न्यायालय मे अपील वाद दाखिल किये जिसका नं0-251/1969 था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा दिनांक 22.09.1969 को अपील अस्वीकृत कर दिया गया। 5- उसके बाद से उक्त भूमि का मालगुजारी बालगोविन्द साव वगैरह के द्वारा सरकार को दिया जा रहा था। 6- अंचल कार्यालय लातेहार दाखिल खारिज वाद संख्या-14/52-53 मे सुनवाई के पश्चात् जो रिपोर्ट उपायुक्त पलामू को भेजी गई उसमें प्रथम पक्ष को रैयत के रूप मे मान्यता दी गई थी। 7- जगधात्री नाथ साह के द्वारा उक्त भूमि को लेकर Add. Judge, पलामू के न्यायालय मे अपील वाद 1960 एवं 1964 मे दायर किया गया था जिसमे इनके अपील वाद को खारिज कर दिया था। 8- सी0एस0 खाता 2 से संबंधित साक्ष्य एवं न्यायालय आदेश प्रथम पक्षकार बालगोविन्द साव के पक्ष मे पाया गया है। 9- द्वितीय पक्षकार एक सदस्य हसीबुल्लाह के द्वारा अंचल को बताया गया कि उक्त प्लॉट मे 13 डी0 भूमि जो मेरे नाम से खतियान मे इन्द्राज पाया गया है उसे प्रथम पक्षकार को दे दी जाए मुझे कोई आपत्ति नही है और न ही मेरे द्वारा भविष्य मे कोई इस भूमि पर दावा किया जाएगा।	

Scanned with CamSc

लातेहार जिला में रिविजन सर्वे का काम सरकार के आदेश से 1977-78 में शुरू हुआ सर्वे के पश्चात् 1992 में खतियान का प्रकाशन हुआ। बंदोबस्ती कार्यालय के द्वारा ग्रामीणों की आपत्ति की मांग की गई। उक्त अवधि में प्रथम पक्षकार के द्वारा (बंदोबस्त) राजस्व न्यायालय में आपत्ति दर्ज किया गया।

11- मौजा सेरेगड़ा के आर0एस0 खाता नं0-243 कुल रकबा 11.90 एकड़ का खतियान बालगोविन्द साह वो सिता साह वगैरह के नाम से इन्द्राज पाया गया। एक प्लॉट रकबा 26 डी0 का इन्द्राज इसमे नही पाया गया जिसके कारण प्रथम पक्षकार को 32 वर्षो बाद प्रतीत हुआ कि आर0एस0 खतियान दूसरे रैयत हसीबुल्लाह व जमालउद्दीन के नाम से आर0 एस0 खाता 456 प्लॉट 3775 में दर्ज हो गया है। इतने वर्षो तक इनका किसी न्यायालय या सक्षम न्यायालय में अपील नही करना यह दर्शाता है कि उक्त 26 डी0 भूमि पर अपना अधिकार छोड़ चुके थे।

12- चूँकि लातेहार जिला में रिविजन सर्वे का अंतिम प्रकाशन राजस्व विभाग के गजट में वर्ष 2005 में हुआ तब तक से लेकर वर्तमान समय में लातेहार जिला में रिविजन सर्वे लागू है। सारे राजस्व कार्य यथा- निबंधन, दाखिल खारिज, सीमांकन इत्यादि रिविजन सर्वे के आधार पर ही किये जाते है।

13- लिमिटेशन ऐक्ट 1963 की धारा 65 में भी भूमि पर हक हैकियत दावा करने का अधिकार 12 वर्ष बतायी गयी है। परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा खतियान का प्रकाशन होने के बाद अभी तक उक्त भूमि पर दावा करने का कोई साक्ष्य, हक हैकियत प्रस्तुत नही किया गया है।

उपरोक्त सभी तथ्यों, निष्कर्षो, अभिलेख में संधारित सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात मै इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि लातेहार जिला में लागू रिविजन सर्वे (आर0एस0 खाता) के आधार पर समस्त राजस्व कार्य का निष्पादन करने का निदेश झारखण्ड सरकार के द्वारा वर्ष 2005 से दिया गया है। चूँकि रिविजन अपने आप में एक सक्षम प्रमाण है तथा समस्त राजस्व कार्यो का मजबूत आधार है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कई पत्रों के माध्यम से रिविजन सर्वे के अनुसार राजस्व कार्यो का निष्पादन करने का आदेश दिया गया है। प्रथम पक्षकार के द्वारा खतियान के अंतिम प्रकाशन वर्ष 2005 के बाद खतियान में त्रुटि को लेकर उपायुक्त न्यायालय या सिविल कोर्ट में अपील वाद दायर नही किया गया है। इसलिए इस भूमि पर उनका हक-हैकियत विधिक रूप से नही बनता है।

Scanned with CamSc

द्वितीय पक्षकार के एक सदस्य हसीबुल्लाह के द्वारा अपने गवाही में स्पष्ट किया गया है कि मेरे हिस्से की उक्त प्लॉट मे से 13 डी0 भूमि प्रथम पक्षकार आनन्दी प्रसाद साव को दी जाए मुझे इसमें कोई आपत्ति नही है।

अत: आर0एस0 खाता 456 प्लॉट 3775 रकबा 26 डी0 में से 13 डी0 भूमि की जमाबंदी प्रथम पक्षकार आन्नदी प्रसाद साव वगैरह के नाम से कायम करने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त प्लॉट में से 13 डी0 भूमि आर0एस0 खतियानी रैयत जमालउद्दीन के पास बची रहेगी। यदि प्रथम पक्षकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त 13 डी0 भूमि पर भी उनका हक-हैकियत है तो प्रथम पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते है। अंचल अमीन को निदेशित किया जाता है कि दोनों पक्ष के सामने उक्त 26 डी0 में से 13-13 डी0 का सीमांकन करते हुए अधोहस्ताक्षरी के समक्ष ट्रेस नक्सा सहित प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे। अधोहस्ताक्षरी के इस विविध वाद मे लिये गये निर्णय से किसी पक्ष को आपत्ति है तो मेरे निर्णय के विरूद्ध डीसीएलआर कोर्ट में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। आदेश से राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक, अंचल अमीन एवं थाना बालूमाथ को अवगत करायें।

लेखापित एवं संशोधित

24.10.23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

24.10.23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Digitally signed by TRIPTI VIJAYA KUJUR
Date: 2024.07.27 13:14:44 +05:30
Location: 192.168.193.91

Scanned with CamSc